

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर

अपील संख्या
12/126/2018

प्रवेश तिथि
27-06-2018

निर्णय दिनांक
24-10-2018

- 01- भीमसिंह पुत्र देवीसहाय मीणा
02- राजेश कुमार पुत्र देवीसहाय मीणा
03- घनश्याम पुत्र देवीसहाय मीणा जातियान मीणा निवासी ग्राम मीणापुरा तहसील रामगढ़, जिला अलवर राज०

अपीलान्ट

बनाम

- 01- नायब तहसीलदार रामगढ़, जिला अलवर

रेस्पॉडेन्ट

अपील विरुद्ध निर्णय नायब तहसीलदार रामगढ़
दिनांक 12.02.2018 अन्तर्गत धारा 91 भू०
राजस्व अधिनियम प्रकरण संख्या 24/2018

उपस्थित:-

01-श्री के के मीणा

-वकील अपीलान्ट

-:निर्णय:-

अपीलान्ट ने यह अपील नायब तहसीलदार रामगढ़ के आदेश दिनांक 12.02.2018 जिसके द्वारा अपीलान्ट को ग्राम मुण्डपुरी की सरकारी बंजड प्रथम भूमि के आराजी खसरा नम्बर 2 रकबा 1.43 है० के 0.46 है० पर अवैध कब्जा करने पर की गई सजा व पैनल्टी से व्यथित होकर की गई है।

अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर कर रेस्पॉ० को जर्ज सम्मन तलब किया गया। एवं अधीनस्थ अदालत का रिकार्ड तलब किया गया।


विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील में अंकित तथ्यों को बहस के दौरान दोहराते हुये निवेदन किया कि ग्राम मुण्डपुरी की सरकारी बंजड प्रथम भूमि के आराजी खसरा नम्बर 2 रकबा 1.43 है० के 0.46 है० पर अवैध कब्जा करने की रिपोर्ट दिनांक 04.01.2018 को पटवारी द्वारा करने पर अपीलान्ट को अतिक्रमी मानकर बिना सुने तीन माह का सिविल कारावास व लगान से दण्डित किया। अपीलान्ट को पश्चातवर्ति अतिक्रमी माना है जबकि पूर्व में अपीलान्ट को कभी बेदखल नहीं किया गया ना किसी प्रकार की पैनल्टी से आरोपित किया गया। अतः अपीलार्थी को सिविल कारावास व पैनल्टी से मुक्त किया जावे।

सर्व प्रथम प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून मियाद पर विचार किया गया अपीलान्ट ने आदेश दिनांक 12.02.2018 के विरुद्ध दिनांक 27.06.2018 को पेश किया। प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून मियाद में अंकित तथ्यों पर विश्वास कर अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

हमने अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र दिनांक 27.06.2018 का भी अवलोकन किया जिसमें अपीलार्थी द्वारा कब्जा छोड़ना बताया गया है तथा भविष्य में अतिक्रमण नहीं करने का निवेदन किया है। रिपोर्ट नायब तहसीलदार रामगढ़ द्वारा भी अपनी मौका रिपोर्ट दिनांक 09.07.2018 में विवादित आराजी पर वर्तमान में अपीलार्थी का अतिक्रमण नहीं होना बताया है। अतः अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। अपीलार्थी को सिविल कारावास के दण्ड से मुक्त किया जाता है। तथा दण्ड स्वरूप आरोपित पैनल्टी यथावत रखी जाती है एवं नायब तहसीलदार रामगढ़ को आदेशित किया जाता है की यदि उक्त अपीलान्ट उक्त आराजी पर पुनः अतिक्रमण करता है, तो उसके विरुद्ध एल आर एक्ट के तहत 91(6) के तहत कार्यवाही की जावे।

निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को उनके रिकार्ड के साथ भिजवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावें। पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफतर की जावें।

निर्णय आज दिनांक 24-10-2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(ओ०पी०जैन)
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राजस्थान)